



कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड लोक निर्माण विभाग
रुद्रप्रयाग

Website-http://pwd.uk.gov.in

Fax: 01364-233204, E-mail ID: eepwd_rpg@rediffmail.com

पत्र संख्या
सेवामें,

1020 / 16C

दिनांक 15/4/2017

अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी,
वन संरक्षण, इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी,
उत्तराखण्ड देहरादून ।

विषय- वनभूमि पत्रावली संख्या FP/UK/ROAD/9873/2015 सारी विजराकोट मोटर मार्ग के
नव निर्माण हेतु वनभूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग, को
हस्तान्तरण करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र द्वारा विषयक मार्ग की वनभूमि पत्रावली पर ऑन लाइन लगायी
गयी आपत्तियों का बिन्दुवार निराकरण निम्न प्रकार किया गया है-

क्र० सं०	आपत्ति	निराकरण
1	In the village wise breakup at B 2.3 online Part I the name of village is mentioned as Sari Kakodakhal whereas in the FRA certificate uploaded at para K online Part I it is mentioned as village Sari but the village level committee meeting proceedings attached with the FRA certificate are for village Bijrakot.	बी-2.3 में ऑन लाइन प्रपत्र के पार्ट-1 में सारी नाम को सही कर विजराकोट अंकित कर दिया गया है, जिसे एफआरए में भी सही कर दिया गया है।

संलग्न- एफआरए प्रपत्र ।

अधिशासी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड लो०नि०वि०
रुद्रप्रयाग ।

प्रतिलिपि-

1. प्रभागीय वनाधिकारी, रुद्रप्रयाग वन प्रभाग, रुद्रप्रयाग को सूचनार्थ प्रेषित।

अधिशासी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड लो०नि०वि०
रुद्रप्रयाग ।

FORM-1**(for linear projects)**

**Government of Uttarakhand
Office of the District Collector Rudraprayag**

No--- 26

Dated--- 07/04/17

TO WHOWSOEVER IT MAY CONCERN

In complinace of the Ministry of Environment and Forests (MOEF), Government of India's letter No 11-9/98-FC(pt) dated 3rd August 2009 wherein the MoEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 ('FRA', for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes read with MoEF's letter dated 5th February 2013 wherein MoEF issued certain relaxation in respect of linear projects, it is certified that **2.610 hectares** of forest land proposed to be diverted in favour of **Provincial Division P.W.D. Rudraprayag** (name of user agency) for **Construction of Sari-Vijrakot Motor Road under State Sector** (purpose for diversion of forest land) in **Rudraprayag** district falls within jurisdiction of **Vijrakot** village (s) in **Rudraprayag** tehsils.

It is further certified that:

- (a) the complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire... hectares of forest area proposed for diversion. A copy of records of all consultations and meetings of the Forest Rights committee(s), Gram Sabha(s) sub- Division laevel Committee(s) and the District Level Committee are enclosed as annexure ...to ...annexure....
- (b) the diversion of forest land for facilities managed by the Gvoernment as required under section 3 (2) of the FRA have been completed and the Grama Sabhas have given their consent to it;
- (c) the proposal does not involve recognised rights of Primitive Tribal Groups and Pre-agricultural communities.

Eucl: As above.


जिला अधिकारी
रुद्रप्रयाग

Signature
(Full name and official seal of the District Collector)

**OFFICE OF THE DEPUTY COMMISSIONER
DISTRICT Rudraprayag (U.K.)**

Proceeding of the meeting of the district level committee constituted under schedule tribes & other Traditional forest Dwellers (recognition of rights) act (FRA). 2006.

A meeting of the district level committee of **Rudraprayag** district, constituted under FRA. 2006 was held under the chairmanship of **Rajana I.A.S** deputy commissioner **Rudraprayag** on date **07/04/17** at time **2.00 pm** at **Rudraprayag** in which application claiming rights in **Forest** area measuring **2.610 hect** for the Construction of **Sari-Vijrakot Motor Road (3.00 Km)** of forest land under FRA. 2006 of the following applicant duly processed and recommended by the sub division level committee of **S.D.M.** sub division were discussed to consider the same for admission by the district level committee.

After scrutiny of the documents and detailed discussions, no objection/claims were found to have been made & hence District level committee recommend the above case for diversion of land for the said purpose.

Place : Rudraprayag

Dated: **07/04/17**


जिला अधिकारी
रुद्रप्रयाग

**Deputy Commissioner-cum-Chairman
District Level Committee**

प्रपत्र-23

परियोजना का नाम :- जनपद रुद्रप्रयाग के विकास खण्ड अगस्त्यमुनि में राज्य योजना के अन्तर्गत सारी-विजराकोट मोटर मार्ग के निर्माण हेतु लोक निर्माण विभाग को वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव, लम्बाई 3.000 किमी०)

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण-पत्र

ग्राम पंचायत का नाम :- विजराकोट

तहसील रुद्रप्रयाग, जिला रुद्रप्रयाग

अनापत्ति प्रमाण पत्र

उत्तराखण्ड में जनपद-रुद्रप्रयाग के अन्तर्गत जनपद रुद्रप्रयाग के विकास खण्ड अगस्त्यमुनि में राज्य योजना के अन्तर्गत सारी-विजराकोट मोटर मार्ग के निर्माण हेतु लोक निर्माण विभाग को वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव, लम्बाई 3.000 किमी०) परियोजना के निर्माण हेतु (2.610 हे० आरक्षित वन भूमि, 0.0000 हे० सिविल सोयम भूमि, 1.4625 हे० वन पंचायत भूमि) अर्थात् कुल 2.6100 हे० वन भूमि का लोक निर्माण विभाग/संस्था के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत विजराकोट द्वारा दिनांक 9/12/2014 को सम्पन्न ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नहीं। उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया /प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम विजराकोट के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि लोक निर्माण विभाग प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

ग्राम पंचायत विकास अधिकारी

क्षेत्र ह०/रुद्र

वि०खण्ड अगस्त्यमुनि

जनपद - रुद्रप्रयाग

ग्राम पंचायत विजराकोट
ह०/रुद्र
वि०खण्ड अगस्त्यमुनि
ग्राम प्रधान

नोट :- यदि किसी आदिवासी अथवा वनवासी की निजी भूमि प्रभावित हो रही है, तो तदनुसार उसका विवरण उक्त प्रपत्र में दिया जाय।

उक्त प्रपत्र उप जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा प्राप्त कर प्रयोक्ता एजेन्सी को उपलब्ध कराया जायेगा।

प्रपत्र-23.1

परियोजना का नाम :- जनपद रुद्रप्रयाग के विकास खण्ड अगस्त्यमुनि में राज्य योजना के अन्तर्गत सारी-विजराकोट मोटर मार्ग के निर्माण हेतु लोक निर्माण विभाग को वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव, लम्बाई 3.000 किमी०)

दिनांक ११/०१/१८ को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

ग्राम पंचायत विजयवाड़ा

क्रमांक	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
1-	गुजरी सिंह डा. श्री नारायण सिंह	Gujari
2-	उमला देवी डा. जगपाल सिंह	Umla
3-	भजन सिंह डा. हनुमंत सिंह	Bhajan
4-	अलखी देवी डा. सुरेश सिंह	Alkhi
5-	गुजरी सिंह डा. आनंद सिंह	Gujari
6-	कलित देवी डा. लक्ष्मण सिंह	Kalita
7-	गोमट देवी डा. कुल सिंह	Gomat
8-	जीतपाल सिंह डा. सैन सिंह	Jitpal
9-	देवी देवी डा. नरेश सिंह	Devi
10-	गुजर सिंह डा. रंग भूष सिंह	Gujar
11-	दिलेश सिंह डा. विजय सिंह	Dilash
12-	भरत सिंह डा. जगत सिंह	Bharat
13-	मोहन सिंह डा. कमल सिंह	Mohan
14-	बलवंत सिंह डा. वीर सिंह	Balwant
15-	सुरेश चंद डा. उदय चंद	Suresh
16-	जयपाल सिंह डा. लाल सिंह	Jaypal
17-	नन्दा सिंह डा. लाल सिंह	Nanda
18-	गोपाल सिंह डा. लाल सिंह	Gopal
19-	जगपाल सिंह डा. लाल सिंह	Jagpal
20-	भातल सिंह पंजाब भवान सिंह	Bhatl
21-	बलवंत सिंह डा. लाल सिंह	Balwant
22-	भातल सिंह डा. भरत सिंह	Bhatl

संलग्न है।

हो ०२/०१/०८
ग्राम प्रधान

प्रपत्र-23.2

परियोजना का नाम :- जनपद रुद्रप्रयाग के विकास खण्ड अगस्त्यमुनि में राज्य योजना के अन्तर्गत सारी-विजराकोट मोटर मार्ग के निर्माण हेतु लोक निर्माण विभाग को वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव, लम्बाई 3.000 किमी0)

कार्यालय उप जिलाधिकारी, :- रुद्रप्रयाग

अनुसूचित जनजाति और परम्परागत वनवासी अधिनियम 2006 के तहत प्रमाण-पत्र
उपखण्ड स्तरीय समिति, अगस्त्यमुनि।

उपखण्ड अगस्त्यमुनि परिक्षेत्र के अन्तर्गत जनपद रुद्रप्रयाग के विकास खण्ड अगस्त्यमुनि में राज्य योजना के अन्तर्गत सारी-विजराकोट मोटर मार्ग के निर्माण हेतु लोक निर्माण विभाग को वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव, लम्बाई 3.000 किमी0) (2.6100 हे0 आरक्षित वन भूमि, 0.0000 हे0 सिविल सोयम भूमि, 1.4625 हे0 वन पंचायत भूमि) अर्थात् कुल 2.6100 हे0 वन भूमि) का लोक निर्माण विभाग प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय समिति, (तहसील रुद्रप्रयाग) की दिनांक 23-12-2014 को सम्पन्न बैठक की कार्यवाही का विवरण:-

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक श्री ~~उप जिलाधिकारी~~ उप जिलाधिकारी एवं अध्यक्ष उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की अध्यक्षता में आयोजित की गयी। बैठक में माननीय सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार है।

- 1- श्री चतर सिंह चौहान उपजिलाधिकारी रुद्रप्रयाग अध्यक्ष
- 2- श्री अजय शर्मा उप प्रभागीय वनाधिकारी, रुद्रप्रयाग, सदस्य
- 3- श्री हर्षवर्धन भट्ट सहायक समाज कल्याण अधिकारी, रुद्रप्रयाग, सदस्य/सचिव
- 4- श्री ~~विजराकोट~~ बी0डी0सी0 क्षेत्र ~~विजराकोट~~ सदस्य

उपखण्ड सचिव द्वारा माननीय सदस्यों का बैठक में स्वागत करते हुए उप जिलाधिकारी की अनुमति से बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गई। माननीय सदस्यों को अवगत कराया गया कि जनपद रुद्रप्रयाग के विकास खण्ड अगस्त्यमुनि में राज्य योजना के अन्तर्गत सारी-विजराकोट मोटर मार्ग के निर्माण हेतु लोक निर्माण विभाग को वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव, लम्बाई 3.000 किमी0) परियोजना हेतु, 2.610 हे0 वन भूमि लोक निर्माण विभाग प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु प्रस्ताव माननीय सदस्यों के समक्ष रखा गया। ग्राम सभा के अन्तर्गत वनाधिकार का कोई मामला लम्बित नहीं है। उक्त भूमि का संबंधित ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव के आधार पर सार्वजनिक उपयोग हेतु प्रत्यावर्तन की अनुशंसा की गई है।

संबंधित उप प्रभागीय वनाधिकारी, रुद्रप्रयाग द्वारा अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं तत्सम्बन्धी नियम 2008 के प्राविधान को स्पष्ट करते हुए जानकारी से माननीय सदस्यों को अवगत कराया कि वन अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत किसी भी दावेदार का दावा/आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस संबंध में ग्राम सभा/पंचायत द्वारा अनापत्ति जारी की जा चुकी है। अतः प्रकरण में उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति द्वारा अनापत्ति जारी की जा सकती है।

बैठक में सर्वसम्मति से उपखण्ड अगस्त्यमुनि परिक्षेत्र के अन्तर्गत जनपद रुद्रप्रयाग के विकास खण्ड अगस्त्यमुनि में राज्य योजना के अन्तर्गत सारी-विजराकोट मोटर मार्ग के निर्माण हेतु लोक निर्माण विभाग को वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव, लम्बाई 3.000 किमी0) परियोजना के निर्माण हेतु 2.610 हे0 वन भूमि लोक निर्माण विभाग प्रयोक्ता एजेन्सी को जनहित में सक्षम प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त कर प्रत्यावर्तित किये जाने पर सहमति व्यक्त की गयी।

उप जिलाधिकारी/अध्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
तहसील-
जनपद-